प्रशासन अनुभाग
1/1151458/2025

सं.प्रशा.16-3/विविध/2023-25 दिनांक 07.10.2025

विषय: आधिकारिक पोशाक मानकों का पालन करने के संबंध में निर्देश

यह देखा गया है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अनौपचारिक पोशाक में कार्यालय में आधिकारिक कर्तव्य निर्वहन हेतु उपस्थित हो रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षित गरिमा एवं मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

2. उपर्युक्त की दृष्टि में, सक्षम प्राधिकारी ने व्यावसायिक वस्त्र कोड के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू करने का निर्णय लिया है, जिनका कार्यालय के सभी कार्मिकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना है:

(क) अनौपचारिक पोशाक, जैसे टी-शर्ट, जीन्स, रिप्ड ट्राऊसर्स, शॉर्ट्स एवं ट्रैकस्यूट्स को कार्यस्थल के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है और इससे अवश्य बचना चाहिए।

(ख) पदत्राण (चप्पल) जैसे स्लिपर्स, फ्लिप-फ्लॉप्स अथवा जो कोई भी एक आधिकारिक कार्यालयीन परिवेश के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, नहीं पहने जाएंगे।

(ग) सभी कार्मिकों को कार्यस्थल पर मर्यादा एवं व्यावसायिकता बनाए रखने हेतु व्यावसायिक पोशाक में कार्यालय में, आधिकारिक दौरों पर तथा प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित होने की आवश्यकता है।

3. इन अनुदेशों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा तथा इसका पालन न करने वालों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

7/10/25

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

सेवा में

1. सभी अनुभाग
2. सूचना पट्ट
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (आईएस-डीएसी) को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।